न्यायालय सहायक कलक्टर (FT),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 05/20 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2020/00026

अनवान्

1. श्री गोपाल पिता भंवरलाल खटीक निवासी वार्ड नम्बर 9 सनवाड तहसील मावली।
2. श्री सुरेश पिता भंवरलाल खटीक निवासी वार्ड नम्बर 9 सनवाड तहसील मावली।
3. रेखा पुत्री भंवरलाल खटीक निवासी वार्ड नम्बर 9 सनवाड तहसील मावली।
4. श्री गणपत पिता भंवरलाल खटीक निवासी वार्ड नम्बर 9 सनवाड तहसील मावली।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती पिंकी पत्नी घनश्याम खटीक निवासी सनवाड तहसील मावली।
2. श्री भंवरलाल पिता नारायणलाल खटीक निवासी वार्ड नम्बर 9 सनवाड तहसील मावली।
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री तुलसीराम डांगी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 10.02.2026

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 2 के खानदान का सजरा निम्न प्रकार है :–

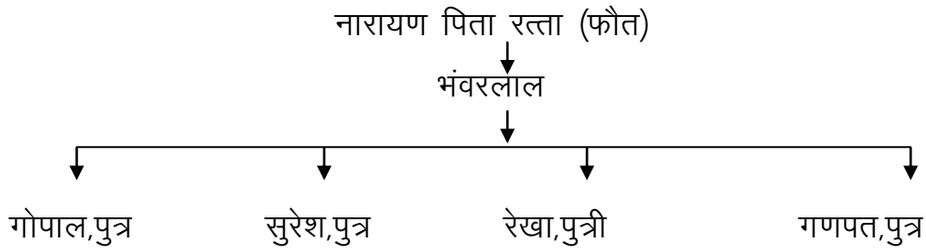

उपरोक्त सजरे अनुसार प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 2 के पूर्वाधिकारी नारायणलाल पिता रत्ता जी खटीक होकर उनका निधन सन् 2005 में हो गया, नारायणलाल के एक पुत्र विपक्षी संख्या 2 भंवरलाल है तथा भंवरलाल के वादी संख्या 1, 2, 4 पुत्र व वादी संख्या 3 पुत्री है इस प्रकार नारायणलाल पिता रत्ता खटीक प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:36:23 IST
Reason: SelfAttested

के दादा थें। रता का बडा भाई छोगा का निधन हो गया, उनके कोई जीवित सन्तान नहीं हैं। उनका सम्पूर्ण हिस्सा वादीगण में निहित हैं।

2. यह कि राजस्व ग्राम सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली के आराजी नम्बर 3540, 3541 किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा कृषि भूमि स्थित होकर उक्त भूमि प्रार्थीगण के दादा श्री नारायण पिता रत्ता जी खटीक के समय की होकर मौरूसी जायदाद है जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से ही हक, हिस्सा व अधिकार निहित है इस प्रकार वाद में वर्णित आराजीयात की भूमि में उपरोक्त सजरे में बताये अनुसार प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/5वां–1/5वां हक हिस्सा है तथा विपक्षी संख्या 2 का भी 1/5 हक हिस्सा हैं। प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 2 इसी हक हिस्से अनुसार वाद वर्णित भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं।

3. यह कि प्रार्थीगण के दादा नारायण पिता रत्ता खटीक के निधन के बाद उनके नाम पर दर्ज सम्पूर्ण भूमि को विपक्षी संख्या 2 ने हल्का पटवारी राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों से मिलकर अपने नाम पर राजस्व अभिलेख में नामान्तरित करा ली जबकि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के दादाजी के समय की होकर मौरूसी जायदाद है इसलिए प्रार्थीगण प्रत्येक का भी वाद में वर्णित हिस्से अनुसार भूमि राजस्व अभिलेख में नामान्तरित होनी चाहिए थी लेकिन वाद वर्णित भूमि प्रार्थीगण के दादा के निधन के बाद अकेले विपक्षी संख्या 2 के नाम पर नामान्तरित हो गई, इसलिए राजस्व अभिलेख में विपक्षी संख्या 2 के नाम पर 1/5 हिस्से से अधिक दर्ज किया गया हिस्सा प्रार्थीगण के हक व हिस्से के मुकाबले अवैध व शून्य हैं।

4. यह कि विपक्षी संख्या 2 ने राजस्व अभिलेख में उपरोक्त प्रकार से अवैध व शून्य इन्द्राज के आधार पर वाद वर्णित भूमि में से 35/37 वां हक हिस्से की भूमि यानि 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 1 को नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 24.12.2019 को विक्रय कर दी तथा विक्रय पत्र का पंजीयन उप पंजीयक सनवाड में दिनांक 27.12.2019 को पंजीबद्ध करा दिया, जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को नहीं होने दी कथित विक्रय पत्र की जानकारी प्रार्थीगण को प्रथम बार दिनांक 01.06.2020 को हुई इस प्रकार विपक्षी संख्या 2 का वादग्रस्त भूमि में 1/5 वां हक, हिस्सा ही बनता है। इसलिए विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में हिस्से से अधिक किया गया बिकाव प्रार्थीगण के हक, हिस्से व अधिकारों के मुकाबले शून्य व अवैध है। इसलिए कथित विपक्षी संख्या 1 के पक्ष निष्पादित नुमाईशी विक्रय पत्र प्रार्थीगण के हक, हिस्से व अधिकारों के मुकाबले शून्य व अवैध है तथा ऐसे शून्य व अवैध दस्तावेज के आधार पर विपक्षी संख्या 1 के नाम पर राजस्व अभिलेख में [illegible] नामान्तरकरण संख्या 5596 दिनांक 11.01.2020 भी अवैध होकर शून्य प्रभावी है। [illegible] अवस्था में वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:36:23 IST
Reason: SelfAttested

मौरूसी जायदाद होने से प्रार्थीगण प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में अपना 1/5–1/5 वें हक हिस्से व खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के कानूनी अधिकारी हैं।

5. यह कि वादग्रस्त भूमि विपक्षीगण के नाम पर गलत तरीके से नामान्तरित हो जाने से विपक्षीगण भूमि को किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को हस्तान्तरित, मुन्तकिल, बैह, बक्षीस, विक्रय आदि करने पर आमादा है तथा प्रार्थीगण को अपने हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने का असफल प्रयास कर रहे है। चूंकि जमीन प्रार्थीगण की मौरूसी जायदाद होने से प्रार्थीगण का जन्म से ही हक, हिस्सा है इसलिए प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस होकर सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में ही है इसके अलावा विपक्षीगण गलत इन्द्राज के आधार पर भूमि इसी तरीके से हस्तान्तरित कर देते है तो प्रार्थीगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन नकदी में किया जाना संभव नहीं होगा ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के कानूनन अधिकारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्व ताफैसला मूल वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि को विपक्षीगण किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को हस्तान्तरित, मुतकिल, विक्रय आदि नहीं करे, न ही भूमि की प्रकृति बदले तथा प्रार्थीगण के कब्जे व हिस्से की भूमि में कोई हस्तक्षेप नहीं करें।
6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1, 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।
7. प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।
8. हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार है :–

1. *<u>प्रथम दृष्टया मामला–</u>* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 1, 2 के नाम संयुक्त रूप से खातेदारी हक से दर्ज है। प्रार्थीगण उक्त भूमि के वर्तमान में खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षी संख्या 1, 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त वादग्रस्त भूमि मौरूसी प्रकृति है मौरूसी जायदाद में हमारा भी हक हिस्सा निहित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:36:23 IST
Reason: SelfAttested

है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में विपक्षी संख्या 2 के नाम दर्ज थी। विपक्षी संख्या 2 द्वारा अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि में से 35/37वां हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.12.2019 से विपक्षी संख्या 1 को विक्रय करना बताया हैं।

प्रार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के दादा के नाम दर्ज थी जो विपक्षी संख्या 2 के नाम दर्ज हुई परन्तु प्रार्थीगण द्वारा उक्त कथन के सन्दर्भ में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 2 के नाम किस आधार पर दर्ज हुई।

प्रार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की मौरूसी सम्पति है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा उक्त कथन के सन्दर्भ में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि वादग्रस्त भूमि पीढी दर पीढी मौरूस के नाम दर्ज चली आ रही हों।

प्रार्थीगण द्वारा खाता संख्या 817 पर दर्ज आराजी नम्बर 3540, 3541 पर ही घोषणा चाही गई है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी के अवलोकन से प्रार्थीगण के मौरूस/पिता के नाम खाता संख्या 817 पर दर्ज अन्य आराजी नम्बर 943, 965 भी दर्ज थी जिसे विपक्षी संख्या 2 द्वारा शनैः शनैः हस्तान्तरित किया गया था जिसका प्रार्थना पत्र में कोई उल्लेख नहीं किया गया।

प्रार्थीगण का कथन है कि विपक्षी संख्या 1, 2 अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को विक्रय, हस्तान्तरण एवं खुर्द बुर्द करने पर आमादा है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण दर्ज होने के लगभग 6 वर्ष पश्चात् भी ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा हो।

विपक्षी संख्या 2 HUF कर्ता खानदान होने से अपनी जायज जरूरतो की पूर्ति हेतु विपक्षी संख्या 2 को अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को विक्रय हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार हैं। विपक्षी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि को पूर्णप्रतिफल अदा कर क्रय किया। विपक्षी संख्या 1 सद्भावी क्रेता हैं। वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। ऐसी स्थिति में खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे खातेदार को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण उक्त बिन्दू को अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहे हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार काश्तकार नहीं होकर विपक्षी संख्या 1, 2 खातेदार काश्तकार है। यदि [illegible] खातेदारो के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है। तो उनको अपने परिवार [illegible] पोषण में कठिनाईयां उत्पन्न होगी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:36:23 IST
Reason: SelfAttested

तथा खातेदारों को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीगण के विरूद्व साबित होने से सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व साबित होता हैं। अतः सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

3. *अपूरणीय क्षति*– चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी सं. 1, 2 के नाम राजस्व रेकार्ड में हिस्सेनुसार खातेदार के रूप में दर्ज हैं। प्रार्थीगण खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाना चाहते है। खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे खातेदारो के हक अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा एवं खातेदारो को अपूरणीय क्षति होगी। विपक्षी संख्या 1, 2 खातेदार काश्तकार होने से खातेदार को अपनी भूमि के उपयोग उपभोग का पूरा अधिकार हैं। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा संतुलन के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

9. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 की खाता संख्या 817 पर दर्ज आराजी नम्बर 3540, 3541 किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम सहखातेदारी रूप में दर्ज हैं। प्रार्थीगण द्वारा अपनी पैतृक सम्पति में हिस्से की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति है प्रार्थीगण के इस बिन्दू को इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से तय नहीं किया जा सकता हैं। प्रार्थीगण द्वारा उठाये गये तथ्य मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किये जा सकते हैं। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई ठोस कारण भी नही बताया गया जिससे यह प्रतीत होता हो की खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो। वर्तमान में विपक्षी संख्या 1, 2 खातेदार काश्तकार होने से खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं।

प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थीगण के विरूद्व साबित हुए हैं। शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किये जावेगे। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:36:23 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:36:23 IST
Reason: SelfAttested